

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वृहस्पतिवार, 13 अप्रैल, 2006/चैत्र 23, 1928(शक)

संख्या- 158

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, एस.एच.ओ., करोलबाग, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री सुरेन्द्र पाल रातावाल, श्री पूरन चन्द योगी, श्री मोती लाल सोढ़ी, श्री साहब सिंह चौहान एवं श्री मोहन सिंह बिष्ट को सी.आर.पी.सी. की धारा 107/151 के अंतर्गत दिनांक 11.04.2006 को गिरफ्तार किया गया और 25.4.2006 तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Thursday 13th April 2006/23 Chaitra 1928

No. 158

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO, Karol Bagh, Delhi

"I have the honour to inform you that Shri Surender Pal Ratawal, Shri Puran Chand Yogi, Shri Moti Lal Sodhi, Shri Sahab Singh Chauhan and Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 107/151 CrPc. on 11.4.2006 and sent to judicial custody upto 25.4.2006.

Siddharath Rao
Secretary